रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082025-265752
CG-DL-E-28082025-265752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3821]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2025/भाद्र 5, 1947
No. 3821]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025/BHADRA 5, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अगस्त 2025

का.आ. 3926(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के आदेश असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 27 मई 2025 के का.आ.2359 (अ) के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 2(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायगा

2(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए गेहूं:

- व्यापारी/थोक विक्रेता : **2000 मीट्रिक टन**
- रिटेलर : प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए **8 मीट्रिक टन**
- बिग चेन रिटेलर: प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए **8 मीट्रिक टन** बशर्ते अधिकतम मात्रा (**कुल दुकानों की संख्या का 8 गुणा) मीट्रिक टन**। यह अधिकतम स्टॉक होगा जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है।
- प्रोसेसर्स : मासिक स्थापित क्षमता के **60%** मात्रा को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा, के बराबर

उपर्युक्त के अनुसार संबंधित विधिक इकाईयां, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://foodstock.dfpd.gov.in) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विभाग के पोर्टल अर्थात् (https://foodstock.dfpd.gov.in) पर गेहूं के स्टॉक की घोषणा और अद्यतन नियमित रूप से किए जाएंगे।

[फा. सं. 3/1/2007- नीति -III]

सी. शिखा, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र में आदेश संख्या सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 2002 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद आदेश संख्या सा.का.नि. 490 (अ) दिनांक 16 जून, 2003 और का.आ. संख्या 1373 (अ) दिनांक 29 अगस्त, 2006, का.आ. संख्या 297 (अ) दिनांक 27 फरवरी 2007, का.आ. संख्या 1488 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2007, का. आ. संख्या 2566 (अ) दिनांक 12 जून, 2023, का. आ. संख्या 4074(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2023, का. आ. संख्या 5292(अ) दिनांक 8 दिसंबर, 2023, का. आ. संख्या 575(अ) दिनांक 08 फरवरी 2024, का. आ. संख्या 2428 (अ) दिनांक 24.06.2024, का. आ. संख्या 3915 (अ) दिनांक 09.09.2024, का. आ. संख्या 5343(अ) दिनांक 11.12.2024, का. आ. संख्या 901(अ) दिनांक 20.02.2025 और का.आ.2359 (अ.) दिनांक 27.05.2025 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 26th August, 2025

S.O. 3926(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Department of Food and Public Distribution published in the Gazette of India, Extraordinary, Part (II) Section-3, Sub Section(ii) vide S.O. 2359(E) dated 27th May 2025, namely:

In the said Order, Paragraph 2(i) shall be replaced as under:

2(i) Wheat for a period up to 31st March 2026 with following stock limits for all States and Union Territories:

- Traders/Wholesaler: **2000 MT**
- Retailer: **8 MT** for each Retail outlet
- Big Chain Retailer: upto **8 MT** for each retail outlet subject to maximum quantity of **(8 multiplied by total no. of outlets) MT**. This will be the maximum stock that can be held at all their retail outlets and depots put together
- Processors: **60%** of Monthly Installed Capacity (MIC) multiplied by remaining months of FY 2025-26

Respective legal entities, as above, shall declare the stocks position on the portal (https://foodstock.dfpd.gov.in) of Department of Food and PD and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits, then they shall bring the same to the prescribed stock limits within 15 days of issue of this notification. It shall be ensured that Wheat stock is regularly declared and updated on the portal of this Department i.e. (https://foodstock.dfpd.gov.in).

[F. No. 3/1/2007 Py-III]
C. SHIKHA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, vide Order No. GSR 104 (E), dated 15th February, 2002 and subsequently amended vide Order No. GSR 490 (E) dated 16th June, 2003 and S.O. No. 1373 (E) dated 29th August, 2006, S.O. No. 297 (E) dated the 27th February 2007 and S.O. No. 1488 (E) dated the 31st August, 2007 and S.O.2566(E) dated-12th June 2023 and S.O.4074(E) dated 14.09.2023 and S.O.5292 (E) dated 08.12.2023, S.O. 575(E) dated 08.02.2024, S.O No.2428 (E) dated 24.06.2024, S.O. No.3915 (E) dated 09.09.2024, S.O 5343 (E) No. dated 11.12.2024, S.O. No. 901(E) dated 20.02.2025 and S.O. 2359(E) dated 27.05.2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.28 11:13:27 +05'30'